हिन्दी दैनिक आज दिनांक 07.11.2014

दो-दो ग्राम सभाओं को गोद लेंगे डीएम व सीडीओ

लखनऊ, गुरुवार (आज समाचार सेवा)। प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करने के लिये जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी दो-दो ग्राम सभाओं को 15 नवम्बर तक गोद लेकर ग्रामीणों को कुपोषण से मुक्ति दिलायें। यह निर्देश प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने आज जारी शासनादेश में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को दिये हैं। वर्तमान में उपलब्ध आकड़ों के आधार पर यथा सम्भव ऐसे ग्राम सभाओं का चयन किया जाये जहां पर सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हों। चयन का उद्देश्य है कि जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी अपनी देखरेख में इन चयनित 04 ग्रामों को कुपोषण मुक्त करायें। एक बार जिस ग्राम का चयन कर लिया जाय, कुपोषण मुक्त होने तक ग्राम सभा वही रहेगी तथा अधिकारी के स्थानान्तरण होने पर भी चयनित ग्राम सभा का बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक माह में जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी अपने-अपने गांवों का भ्रमण करें तथा प्रगति का अनुश्रवण करेंगे। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी चयनित ग्राम सभाओं की सूचना 20 नवम्बर 2014 तक महानिदेशक राज्य पोषण मिशन तक उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि कुपोषण की रोकथाम तथा समाधान हेतु विविध हस्तक्षेपों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर जनपदों को कुपोषण से मुक्त करने के प्रयास का मूल्यांकन कर संबंधित जनपदों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी है। उन्होंने कहा कि कुपोषण की रोकथाम एवं निवारण का एजेन्डा जिलाधिकारी की प्राथमिकता में होना अनिवार्य है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की समस्या के निदान के लिये राज्य पोषण मिशन का गठन किया गया है और 01 नवम्बर 2014 को सिटीजन अलायंस के सदस्यों एवं यूनिसेफ की उपस्थिति में मुख्यमंत्री द्वारा मिशन का शुभारम्भ किया गया। राज्य पोषण मिशन का विजन डाक्यूमेंट एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध है। पांच वर्ष से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण मात एवं शिशु कुपोषण है। कुपोषण के कारण 05 वर्ष से कम उम्र के लाखों बच्चों की असमय मृत्यु हो जाती है और जो कुपोषण से प्रभावित बच्चे जीवित रहते हैं, उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे प्राय बीमार हो जाते हैं और उनका सम्यक विकास नहीं हो पाता हैं स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए कुपोषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है तथा बाल मृत्यु दर में भी कमी लायी जा सकती हैं। कुपोषण की रोकथाम तथा समाधान गर्भावस्था से आरम्भ करके जीवन के पहले दो वर्षों तक सर्वाधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। प्रारम्भ के 1000 दिन शिशु के जीवन के लिये अनमोल होते हैं। यदि शिशुओं के प्रथम दो वर्षों में उनके उचित पोषण पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपने आगामी जीवनध्वयस्क जीवन में अपूरणीय क्षति का शिकार हो सकते हैं जो उनकी आगामी पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है। महानिदेशक श्री रिजवी ने कहा कि कुपोषण की समस्या स्वास्थ्य, पोषण, अशिक्षा, गरीबी, अस्वच्छता एवं सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई एक गम्भीर समस्या है, जिसको विभिन्न विभागों के समन्वय, सहयोग एवं सामुदायिक सहभागिता से ही दूर किया जा सकता हैं कुपोषण दूर करने के लिये आईसीडीएसए स्वास्थ्य और अन्य विभागों द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। परन्तु आवश्यकता है कि इन कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित कर उन्हें और प्रभावी तरीके से लागू किया जाय। इसमें जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कुपोषण निवारण के लिए यह आवश्यक है कि जनपद के अन्तर्गत समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रवार, ग्रामसभावार अतिकुपोषित बच्चों को सूचीबद्ध करायें। यद्यपि अधिकांश जनपदों में आंगनबाड़ी केन्द्र पर कुपोषित बच्चों की सूची उपलब्ध होगी फिर भी एक अभियान चलाकर एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं मुख्य सेविका के माध्यम से 05 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन लिया जाय एवं अतिकुपोषित बच्चों की सूची तैयार कर ली जाय। सूची की एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी के पास भी उपलब्ध रहेगी यह कार्य 30 नवम्बर 2014 तक अवश्य पूरा कर लिया जाय।

कुपोषण से मुक्त करने के लिये मुख्य सचिव ने जारी किया शासनादेश

अमर उजाला दिनांक 07.11.2014

केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी गांव गोद देने की योजना

डीएम, सीडीओ गोद लेंगे दो-दो ग्राम सभाएं

लखनऊ(ब्यूरो)। सांसदों को गांव गोद दिये जाने की केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार भी अपने यहां गांवों को गोद देने जा रही है। हालांकि यह गांव जनप्रतिनिधियों के बजाय डीएम व सीडीओ को गोद दिये जाएंगे। सरकार ने यह योजना मां व बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए शुरू की है। इसके तहत सरकार ने प्रत्येक डीएम व सीडीओ को अतिकुपोषित दो-दो ग्राम सभाओं को गोद लेने के निर्देश दिए हैं।

15 नवंबर तक यह कार्रवाई पूरी करनी होगी। कुपोषण की रोकथाम व निवारण का एजेंडा डीएम की प्राथमिकता में होगा। प्रत्येक महीने डीएम व सीडीओ को गांवों में दौरा कर प्रगति की निगरानी भी करनी होगी। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने गुरुवार को प्रदेश के सभी डीएम व मुख्य विकास अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पांच वर्ष से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण कुपोषण है। मुख्य सचिव ने आदेश में लिखा है कि कुपोषण दूर करने के लिए समन्वित बाल विकास सेवाएं, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें समन्वय स्थापित करने में डीएम सक्रियस्य भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गोद लेने में ध्यान रखा जाए कि जिले में जो सबसे अधिक कुपोषित ग्राम सभाएं हैं उन्हें पहले गोद लें। एक बार ग्राम सभा गोद लिए जाने के बाद यदि अधिकारियों का तबादला होता है तब भी उनकी ग्राम सभाएं नहीं बदली जाएंगी। डीएम व सीडीओ को ग्राम सभाओं के गोद लेने की सूचना 20 नवंबर तक महानिदेशक राज्य पोषण मिशन को उपलब्ध करानी होगी।

कुपोषण दूर करने के लिए सरकार की बड़ी मुहिम

- 15 तक कार्रवाई करनी होगी पूरी

ग्रामसभावार बनेगी कुपोषित बच्चों की सूची

प्रत्येक जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ग्रामसभावार कुपोषित बच्चों की सूची बनेगी। इसमें एएनएमए आशाए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व मुख्य सेविकाएं काम करेंगी। पांच वर्ष तक के बच्चों का वजन लेकर अतिकुपोषित बच्चों को लाल श्रेणी में रखेंगे। सूची की एक प्रति खंड विकास अधिकारी व उपजिलाधिकारी के पास रहेगी। यह काम 30 नवंबर तक पूरा करना होगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये होंगे कार्यक्रम

- गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन वृद्धि की निगरानीए टीकाकरणए आयरन की 100 गोलियां व अतिरिक्त आहार के संबंध में सलाह देना
- छह माह तक के बच्चों का टीकाकरण व वजन करना। बच्चों को केवल मां के दूध की सलाह देना
- छह महीने से दो वर्ष तक के बच्चों को ऊपरी आहार के संबंध में सलाह देना
- उन घरों में जाकर भ्रमण करना जहां बच्चे हैं। यह देखना कि बच्चों की देखभाल कैसे हो रही है
- दो वर्ष तक के बच्चों के खान-पान व स्वच्छता संबंधी व्यवहार पर ध्यान
- कुपोषित बच्चों को पास के स्वास्थ्य केंद्र व पोषण पुनर्वास केंद्र पर रेफर करना
- पांच वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की द्विवार्षिक खुराक व 100 दिन आयरन सीरप देना
- सभी घरों में आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना

दैनिक जागरण दिनांक 07.11.2014

दैनि

डंका : स्मृति ईरानी

उत्तर प्रदेश • दिल्ली

अति कुपोषित दो-दो गांव गोद लेंगे डीएम-सीडीओ

पोषण पर फोकस

- सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर सरकार की मुहिम
- मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जारी किया शासनादेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रधानमंत्री की 'एक सांसद-एक गांव' योजना की तर्ज पर अब अखिलेश सरकार 'अति कुपोषित गांव' गोद लेने की मुहिम शुरू करेगी। इन गांवों की जिम्मेदारी डीएम और सीडीओ पर होगी। ये अधिकारी दो-दो गांव गोद लेंगे और कुपोषण दूर होने तक वहां विशेष योजना चलती रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले राज्य पोषण मिशन की शुरुआत की थी और मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, शिशु को कुपोषण से बचाने के लिए अभियान छेड़ने का वादा किया था। छह नवंबर को मुख्य सचिव आलोक रंजन की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में कुपोषित और अति कुपोषित गांव का चयन किया जाए। इसके लिए पांच साल तक के बच्चों की सेहत को मानक माना जाए। अति कुपोषित दो गांव डीएम और दो गांव सीडीओ गोद लें। गांव के सभी बच्चों का वजन कराकर हेल्थ चार्ट बनाया जाए और कुपोषण दूर करने का एजेंडा तैयार किया जाए। (शेष पेज 17)

अति कुपोषित दो-दो...

गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच हो और आवश्यक दवाएं उपलब्ध करायी जाएं। गांव के हर घर को आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर गरम खाना परोसा जाए। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को इस योजना का नोडल महकमा बनाया गया है। विभाग के निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को योजना पर अमल करने का आदेश दे दिया गया है।

15 नवंबर तक गांवों का चयन करने की हिदायत दी गयी है। 30 नवंबर तक इन गांवों में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी ओर राज्य पोषण मिशन के महानिदेशक कामरान रिजवी की ओर से अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि सबसे ज्यादा कुपोषित गांव के सर्वे की प्रतीक्षा के बगैर पुराने या मौजूद आंकड़ों के आधार पर 15 नवम्बर तक गांवों को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी कर इसकी जानकारी 20 नवम्बर कर राज्य पोषण मिशन को दे दी जाए। जिन जिलों में कुपोषण को दूर करने के लिए अच्छा काम होगा, वहां के अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

ऐसे दूर होगा कुपोषण

- चयनित गांव के पांच साल तक की उम्र के सभी बच्चों का वजन लिया जाएगा
- लड़के और लड़कियों की संख्या और लिंग अनुपात का डेटा बनेगा
- कुपोषित बच्चों की सूची बनेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति का ब्योरा दर्ज होगा
- कुपोषित बच्चों की निगरानी करेंगे आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
- कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार
- सभी घरों को आयोडीनयुक्त नमक
- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच, आवश्यक दवा भी
- डीएम, सीडीओ को माह में एक बार गांव में जाना अनिवार्य
- विकास की कार्य योजना का ब्योरा जिला योजना में शामिल